रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2011/अग्रहायण 10, 1933
No. 649] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2011/AGRAHAYANA 10, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 854(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 14 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. वेतन.—अध्यक्ष को तीन लाख रुपए पचहत्तर हजार रुपये समेकित मासिक वेतन का संदाय किया जाएगा और प्रत्येक सदस्य को तीन लाख बारह हजार पांच सौ रुपये समेकित मासिक वेतन का संदाय किया जाएगा और वे आवास और कार के हकदार नहीं होंगे ।"।

[फा. सं. 5/5/2003-आईजीसी/सीएस]

अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 784(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2003 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 136(अ), तारीख 27 फरवरी, 2009 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2011

G.S.R. 854(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (1) of Section 14 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members), Rules, 2003, for Rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Pay.—The Chairperson shall be paid a consolidated monthly salary of rupees three lakh seventy five thousand and every Member shall be paid a consolidated monthly salary of rupees three lakh twelve thousand five hundred and they shall not be entitled to house and car.".

[F. No. 5/5/2003-IGC/CS]

AVINASH K. SRIVASTAVA , Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number GSR. 784(E), dated the 6th October, 2003 and subsequently was amended *vide* notification number G.S.R. 136(E), dated the 27th February, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

Published by the Controller of Publications, Delhi-110054